संख्या-153 / 2016 / 1480 / चार-2016 -135(विविध)/2005 टीसी

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर , 2016

विषय:- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-69/सं0नि0-20(18)/06-07 दिनांक 20 अप्रैल,2016 के संदर्भ में आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में कार्य हेतु स्वीकृत आगणन रू0 983.47 लाख में से कुल रू0 849.72 लाख का प्रबन्ध कर संस्कृति विभाग द्वारा जारी किया जाना था। शासनादेश दिनांक 13.10.2006 द्वारा रू0 93.57 लाख, वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनांक 19-03-2014 द्वारा 50.00 लाख , वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश दिनांक 28-08-2015 द्वारा 100.00 लाख, शासनादेश दिनांक 15-02-2016 द्वारा रू0 150.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 10-03-2016 द्वारा रू0 456.15 लाख इस प्रकार कार्यदायी संस्था को कुल धनराशि रू0 849.72 लाख उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित/संशोधित प्रस्तावित आगणन धनराशि रू0 1814.16 लाख के सापेक्ष लागत धनराशि रू0 1333.43 लाख मूल्यांकित की गयी है। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 1333.43 लाख में से रू0 849.72 लाख दिया जा चुका है। अब अवशेष धनराशि रू0 483.71 लाख ( रूपया चार करोड तिरासी लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम )
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 153 / 2016 / 1480 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/11/2016सी0एक्स (1) दिनांक 17 अगसत, 2016 के क्रम में।
3- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
5 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 -प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8 - सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।